


फर्द अहकाम
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
नत्थी लाल दीक्षित बनाम लो.सू.अधि. नगर निगम भरतपुर
किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर 1115 सन् 2023

तारीख हुमम	हुमम या कार्यवाही गय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुमम की तारीख में जारी हुये
25.07.2023	<p>प्रार्थी/अपीलान्त नत्थी लाल दीक्षित पुत्र घमण्डी लाल निवासी मकान नं 202 बी, गली नम्बर 05 तिलक नगर, भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण आर.टी.आई. के तहत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षमे मेयर, नगर निगम भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> जिला कलक्टर भरतपुर</p>	<p>158 4/8/23 निर्वाचक मेयर</p>